कार्यालय जिला पंचायत, बाँदा

खनिज परिवहन शुल्क वसूली ई–निविदा सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जिला पंचायत बांदा द्वारा जनपद बांदा के ग्रामीण क्षेत्र की नदियों या उनके तट से बालू, मौरम, रेत या अन्य खनिज गिट्टी, पत्थर, बोल्डर, सुरखी, चूना, भस्सी, कोयला, बजरी, खारो से निकलने वाली मिट्टी को लेने, एकत्रित करने तथा उसे जिले में या जिले के बाहर व्यावसायिक उद्देश्य से परिवहन करने वाले शक्तिचालित वाहनों से खनिज के उद्गम स्थलों पर शुल्क वसूली सम्बन्धी ठेका/नीलामी वर्ष 2019–20 (दिनांक–31.03.2020 तक) के लिए ई–निविदा दिनांक–28.01.2019 समय दोपहर 12.00 बजे तक ई–टेण्डरिंग के माध्यम से आमंत्रित की गई थीं, किन्तु ई निविदा में कोई टेण्डर प्राप्त नहीं हुआ। तत्पश्चात दूसरी बार दिनांक–07.02.2019 तक आमंत्रित की गई। जिसमें एकल निविदा प्राप्त होने के कारण वित्तीय निविदा नहीं खोली गयी। अतः पुनः तृतीय बार दिनांक–19.02.2019 समय सायं 5.00 बजे तक निविदा ई–टेण्डरिंग के माध्यम से आमंत्रित जाती है, जिसके लिए टेण्डर फार्म ई–टेण्डरिंग पोर्टल http://etender.up.nic.in दिनांक–14.02.2019 को प्रातः 10.00 बजे से दिनांक –19.02.2019 को सायं 5.00 बजे तक उपलब्ध रहेगा। तकनीकी निविदा दिनांक –20.02.2019 को समय दोपहर 12.00 बजे से खोली जायेगी। ई–निविदा कार्यालय जिला पंचायत बांदा के अपर मुख्य अधिकारी कक्ष में ससमय खोली जायेगी। निविदादाता को अपने समस्त प्रमाण पत्र की स्कैन कापी निविदा के साथ ई–टेण्डरिंग पोर्टल http://etender.up.nic.in अपलोड करना होगा तथा मूल प्रमाण पत्र शर्तो के अनुसार दिनांक –20.02.2019 को पूर्वान्ह 11.00 बजे तक स्वयं उपस्थित होकर या रजिस्टर्ड डाक द्वारा अनिवार्य रूप से कार्यालय जिला पंचायत, बांदा के अपर मुख्य अधिकारी कक्ष में सील्ड बाक्स में जमा कराना होगा, अन्यथा की स्थिति में निविदादाता के ई–निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

टेण्डर फार्म का शुल्क रू0 10,000/– का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक एवं रू0 100/–(1 प्रतिशत सीजीएसटी) तथा रू0 100/–(1 प्रतिशत एसजीएसटी) का पृथक–पृथक बैंक ड्राफ्ट/ बैंकर्स चेक के माध्यम से अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत, बांदा के नाम से देय होगा, जो कि टेक्निकल बिड के साथ देना अनिवार्य होगा। उपरोक्त टेण्डर के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी एवं शर्ते जिला पंचायत कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में एवं http://etender.up.nic.in पर देखी जा सकती है।

(संतोष कुमार त्रिपाठी)
अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत बांदा
अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, बाँदा

(सरिता द्विवेदी)
अध्यक्ष
जिला पंचायत बांदा।

कार्यालय जिला पंचायत, बॉदा

पत्रांक –949 /तहबाजारी ठेका/2018–19/दिनांक – 18/02/2019

उक्त की प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अपर मुख्य सचिव, पंचायतीराज अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. मा0 आयुक्त, चित्रकूटधाम मण्डल, बांदा को सादर अवलोकनार्थ।
3. मा0 अध्यक्ष महोदय, जिला पंचायत, बॉदा को अवलोकनार्थ।
4. जिलाधिकारी महोदय, बॉदा को अवलोकनार्थ।
5. अपर जिलाधिकारी महोदय, बांदा को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि जिलाधिकारी महोदय के आदेश दिनांक–21.01.2019 द्वारा आपको खनिज परिवहन शुल्क वसूली की ई–निविदा खोले जाने हेतु प्रतिनिधि नामित किया है, अतः आपसे अनुरोध है कि दिनांक–20.02.2019 को दोपहर 12.00 बजे जिला पंचायत कार्यालय में ई–निविदा खुलवाने का कष्ट करें।
6. पुलिस अधीक्षक महोदय, बॉदा को इस अनुरोध के साथ कि उक्त तिथि में शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
7. मुख्य विकास अधिकारी/मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, बांदा।
8. समस्त उपजिलाधिकारी/तहसीलदार/खण्ड विकास अधिकारी जनपद–बॉदा को अपने नोटिस बोर्ड में चस्पा हेतु।

9. व्यवस्थापक प्रादेशिक समाचार पत्र दैनिक जागरण, झांसी तथा स्थानीय समाचार पत्र दैनिक त्रिशूल तेज, बॉदा को इस आशय से प्रेषित कि वे उक्त विज्ञप्ति अपने समाचार पत्र के अगले अंक में कम से कम स्थान में बांदा संस्करण में प्रकाशित कराकर दो प्रतियों सहित बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

10. वित्तीय परामर्शदाता/अभियन्ता (सदस्य नीलाम समिति) जिला पंचायत, बॉदा को इस आशय से प्रेषित कि वे निर्धारित समय में कार्यालय जिला पंचायत, बॉदा में उपस्थित रहकर उपरोक्तानुसार नीलामी कार्यवाही सम्पादित करायें।

11. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, बॉदा को इस अनुरोध के साथ कि वे उक्त विज्ञप्ति बांदा जिले की बेबसाइट http://banda.nic.in पर डाउनलोड कराने का कष्ट करें।

12. प्रभारी कोतवाली, शहर–बॉदा को इस आशय से कि वे निर्धारित तिथि में शांति व्यवस्था हेतु पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

13. कैशियर जिला पंचायत, बॉदा को इस निर्देश के साथ कि वे ई–टेण्डरिंग तिथि को उपस्थित रहकर आवश्यक कार्यवाही करें।

14. समस्त राजस्व निरीक्षक एवं कर समाहर्ताओं को इस निर्देश के साथ कि वे उक्त नीलामी का व्यापक प्रचार प्रसार कराया जाना सुनिश्चित करें।

15. जिला पंचायत, बॉदा के नोटिस बोर्ड में चस्पा हेतु।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, बॉदा

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, बाँदा